**(वाद सं0.-3874/4/22/2020)**

28.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर शहरी क्षेत्र के जनवितरण–प्रणाली के विक्रेता, विनोद कुमार, वार्ड नं0–35 को गेहूँ + चावल कोर स्ट्रेप डिलेवरी अनाज कम दिये जाने से संबंधित परिवादी, जयप्रकाश साह, जिला अध्यक्ष, फयर प्राईस डीलर्स एसोसिएशन, शादीपुर, मुंगेर के परिवाद से संबंधित है।

उक्त पर **जिला पदाधिकारी, मुंगेर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, मुंगेर** स प्राप्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी, जय प्रकाश साह, द्वारा राज्य आयोग में समर्पित प्रत्युत्तर पर पुनः **जिला पदाधिकारी, मुंगेर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, मुंगेर** क प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सदर, मुंगेर** के प्रतिवेदनानुसार **"जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विनोद कुमार के शिकायत पर राज्य खाद्य निगम मुंगेर के द्वारा लंबित खाद्यान्न की आपूर्ति करा दी गयी है। जिसपर जन वितरण प्रणाली विक्रेता का खाद्यान्न प्राप्ति पर हस्ताक्षर भी अंकित है।**

**इसके पश्चात् जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विनोद कुमार का कोई दावा आवेदन पत्र जिला प्रबंधक, खाद्य निगम, मुंगेर/प्रखंड आपूर्ति, जमालपुर एवं अनुमंडल कार्यालय, सदर मुंगेर में लंबित नहीं है।"**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, मुंगेर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार

अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, मुंगेर** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**<u>निबंधक</u>**